P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-5* ISSUE-4* December- 2017
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

महिला सशक्तिकरण पर सरकारी योजनाओ का प्रभाव

वीणा सनाढ्य
सहायक निदेशक,
कालेज शिक्षा,
उदयपुर,राजस्थान

सारांश

भारतीय परम्परा में स्त्री को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। हमारा अतीत भी इस बात का साक्षी है। किन्तु समय परिवर्तन के साथ स्थितियों में बदलाव आया और स्त्रियों को अनेक विषमताओं का शिकार होना पड़ा। समय ने एक और कवरट ली और स्थितियों को फिर से स्त्रियों के अनुकूल स्तरों पर स्त्रियों को समाज और जीवन में उनका उचित स्थान दिलवाने के अगणित प्रयास हुए और उन प्रयासों के परिणाम भी नजर आए। इस बदलाव को लाने में सबसे बड़ी भूमिका शिक्षा की रही है।

मुख्य शब्द : महिला सशक्तिकरण,विषमतायें, शिक्षा, आर्थिक विकास,ग्रामीण समाज

प्रस्तावना

राजस्थान में राजकीय स्तर पर महिला सशक्तीकरण की दिशा में बहुत गम्भीर प्रयास किए जा रहे हैं। असल में राजस्थान ही देश का ऐसा पहला राज्य है जिसमें 1984 में ही सात जिलो में महिलाओं के विकास के लिए महिला विकास कार्यक्रम की शुरूआत कर दी थी। महिलाओं को निष्क्रिय लाभार्थी मानते हुए उन्हे सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध कराने की बजाय इस कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी, शिक्षा व प्रशिक्षण के द्वारा आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तीकरण करते हुए उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। राज्य व जिला स्तर पर ''इदारा'' के रूप में किसी प्रतिष्ठित स्वयं सेवी संस्था का चयन किया जाता है। ''इदारा'' महिला विकास कार्यक्रम के लिए तकनीकी, अकादमिक एवं सन्दर्भ सहायता प्रदान करता है। राजस्थान में महिला सशक्तीकरण के लिए चलाये गये महिला विकास कार्यक्रम, पांच सूत्रीय महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम, जिला महिला सहायता समिति आदि कार्यक्रम महिलाओं को रोजगार, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य एवं पोषण प्रदान कर रहे हैं।

इन सरकारी प्रयासों का मूल्याकंन महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक विकास में सुधार हेतु अति आवश्यक है। प्रस्तुत शोध इस सन्दर्भ में महत्वपूर्ण साबित होगा कि राज्य के जनजाति क्षेत्रों में महिला सशक्तीकरण के प्रयासों का क्या योगदान है व इन योजनाओं से महिलाओं के जीवन पर क्या प्रभाव पडे. हैं, प्रस्तुत शोध पत्र में राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न महिला सशक्तीकरण कार्यक्रमों का मूल्याकंन प्रस्तुत कर सुझाव प्रस्तुत किये जाएंगे जो विकास हेतु नये आयाम स्थापित करने में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे।

भारतीय परम्परा में स्त्री को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। हमारा अतीत भी इस बात का साक्षी है। किन्तु समय परिवर्तन के साथ स्थितियों में बदलाव आया और स्त्रियों को अनेक विषमताओं का शिकार होना पड़ा। समय ने एक और कवरट ली और स्थितियों को फिर से स्त्रियों के अनुकूल स्तरों पर स्त्रियों को समाज और जीवन में उनका उचित स्थान दिलवाने के अगणित प्रयास हुए और उन प्रयासों के परिणाम भी नजर आए। इस बदलाव को लाने में सबसे बड़ी भूमिका शिक्षा की रही है।

वर्ष 1961 की जनगणना में देश में साक्षर पुरूषों का प्रतिशत 40 था जबकि साक्षर महिलाओं का प्रतिशत मात्र 15 था। वर्ष 2001 में आते–आते वो यह 54.16 प्रतिशत तक पंहुच गया। विभिन्न राज्य सरकारों ने लड़कियों को विद्यालय तक लाने के लिए निशुल्क पुस्तकें, निशुल्क पोाक, छात्रवृत्तियां, दोपहर का भोजन, छात्रावास व लाडली योजना जैसे अनेक प्रयास किये गये। केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में अब पूरा जोर महिलाओं की शिक्षा पर ही देने का फैसला किया है।

वर्तमान में केन्द्र सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में दिए गए छः बुनियादी सिद्धान्तों में भी महिलाओं को शैक्षिक, आर्थिक, व कानूनी रूप से सशक्त बनाने के सिद्धान्त को स्वीकार किया गया है। भारत सरकार की इस तरह की बहुत सारी योजनाएँ देश में स्त्रियों की स्थिति को सुदृढ़ बनाने में

मददगार साबित हो रही है और होगी, इसमें कोई शक नहीं है। यहां बात हमें क्योंकि राजस्थान प्रान्त के सन्दर्भ में करनी है।

राजस्थान की महिलाएं अपनी कलात्मक भावना, गायन, नृत्य और विभिन्न पारम्परिक कलाओं के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती हैं। लेकिन प्रान्त के अतीत की कुछ खास बातें महिलाओं की स्थिति के अनुकूल नहीं रही हैं, कुछ परम्पराएं, कुछ रूढ़ियां, कुछ खास तरह की सोच महिलाओं के प्रतिकूल रही हैं। लेकिन हर्ष की बात यह है कि स्वाधीनता के बाद और विशेष रूप से हाल के वर्षों में राज्य सरकार के प्रयासों से यह स्थिति बहुत तेजी से बदलती जा रही है।

राजस्थान में राजकीय स्तर पर महिला सशक्तीकरण की दिशा में बहुत गम्भीर प्रयास किए जा रहे हैं। असल में राजस्थान ही देश का ऐसा पहला राज्य है जिसमें 1984 में ही सात जिलो में महिलाओं के विकास के लिए महिला विकास कार्यक्रम की शुरूआत कर दी थी। महिलाओं को निष्क्रिय लाभार्थी मानते हुए उन्हे सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध कराने की बजाय इस कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी, शिक्षा व प्रशिक्षण के द्वारा आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तीकरण करते हुए उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। राज्य व जिला स्तर पर ''इदारा'' के रूप में किसी प्रतिष्ठित स्वयं सेवी संस्था का चयन किया जाता है। ''इदारा'' महिला विकास कार्यक्रम के लिए तकनीकी, अकादमिक एवं सन्दर्भ सहायता प्रदान करता है। राजस्थान में महिला सशक्तीकरण के लिए चलाये गये महिला विकास कार्यक्रम, पांच सूत्रीय महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम, जिला महिला सहायता समिति आदि कार्यक्रम महिलाओं को रोजगार, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य एवं पोषण प्रदान कर रहे हैं।

इन सरकारी प्रयासों का मूल्याकंन महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक विकास में सुधार हेतु अति आवश्यक है। प्रस्तुत शोध इस सन्दर्भ में महत्वपूर्ण साबित होगा कि राज्य के जनजाति क्षेत्रों में महिला सशक्तीकरण के प्रयासों का क्या योगदान है व इन योजनाओं से महिलाओं के जीवन पर क्या प्रभाव पडे. हैं, प्रस्तुत शोध पत्र में राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न महिला सशक्तीकरण कार्यक्रमों का मूल्याकंन प्रस्तुत कर सुझाव प्रस्तुत किये जाएंगे जो विकास हेतु नये आयाम स्थापित करने में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे।

साहित्यावलोकन

सन्दर्भ साहित्य के अवलोकन से हमें शोध अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने एवं शोध कार्य को आगे विकसित करने में सहायता मिलती है। यहाँ हमने कुछ अधयननो का उल्लेख किया है

आर्य कु. रीना ने 2017 में अपने लेख ''पंचायतों में महिलाओं की सहभागिता'' में बताया कि लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की दिशा में 79 वां संविधान संशोधन अधिनियम मील का पत्थर साबित हुआ है। विकेन्द्रीकरण की इस प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गो का नेतृत्व में हिस्सेदारी प्राप्त हुई है।

73 वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत में पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिकि दर्जा प्रदान किया है पंचायतों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्ग एवं महिलाओं को आरक्षण के माध्यम से प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है। महिलाएं समाज के लगभग आधे भाग का प्रतिनिधित्व करती हैं लेकिन उनकी राजनीतिक सहभागिता लगभग नगण्य रही है। महिलाओं को सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक आदि क्षेत्रों में संवैधानिक अधिकारों के उपयोग का अवसर दे। महिलाओं की भागीदारी के बिना विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को अगुवाई के अवसर मिले हैं जरूरत है हम उन्हें सहयोग दें। महिला व पुरुष मिल–जुलकर ही स्वस्थ्य लोकतांत्रिक व बेहतर प्रगतिशील समाज का निर्माण कर सकते हैं।

परिहार जितेन्द्र सिंह ने 2017 में अपने शोध पत्र ''21 वीं सदी में नारी की प्रासंगिकता'' में बताया है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नभ पग तल में पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुन्दर समतल में।

प्राचीन काल में नारियों का अत्यधिक सम्मान गार्गी, अनुसूया आदि नारियों के व्यक्तित्व के रूप में देखा जा सकता है। तब नारियां पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर वेद पाठ किया करती थीं। पौराणिक काल में उनका स्थान निश्चय ही श्रद्धा का केन्द्र था, देवता भी उनके सन्निकट शिशु रूप में आनन्द का अनुभव करते थे। 'यत्रनार्यस्तु पुज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता' की उक्ति जीवन में चरितार्थ होती थी किन्तु धीरे–धीरे इस्लाम का पदार्पण भारत में हुआ। तलवार के बल पर खूनी धर्म की स्थापना ने शान्ति के मार्ग में कांटे बिखेर दिये। जो नारी पुरुष की श्रद्धा की केन्द्र थी नकाब में कैद होकर रह गयी। पुरुषों की हिंसात्मक सोच ने उसे धार्मिक कार्यो से च्युत तो किया ही घर से बाहर उसकी श्रम के प्रति निष्ठावादी सोच के दरख्त पर कुल्हाड़ी भी चलायी, हुक्म की तामील न होने पर उन्हें मारा पीटा जाने लगा। मानव सहज सामान्य त्रुटियों पर अंग–भंग कर देना दण्ड की पराकाष्ठा हो गयी। पुरुषों की स्वेच्छाचारिता ने बहुविवाह को कानूनी जामा पहना दिया और लाचारी की दर्द भरी दास्तान इतिहास के काले पन्नों के रूप में सदा–सदा के लिए लिख गयी। धीरे–धीरे ब्रिटिश काल आया। पाश्चात्य स्वच्छन्दतावादी सोच और संवेदना ने भारत की भूमि को भी प्रभावित किया। मुगलकाल में पतन के साथ ही नारियों के लिये भी द्वार खोल दिये और एक बार पुनः लक्ष्मी सहगल, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, इन्दिरा गांधी और कमला नेहरू जैसी सुशिक्षित नारियों ने राजनीति के क्षेत्र में दस्तक दे दी। वही महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, कृष्णा सोबती जैसी नारियों ने साहित्य के क्षेत्र में अपने झंडे गाड दिये। देश के कर्म क्षेत्र में प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने नारियों के लिये वह कर दिखाया, जो हजारों वर्ष के इतिहास में कभी देखने को नहीं मिला। फिर क्या था, नारी शिक्षा की लहर चल पड़ी, आज हजारों महिलाएँ देश की सीमा पर राइफल लिये पहरेदारी करते देखी जा सकती हैं। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स जैसी महिलाओं ने अन्तरिक्ष में कदम रख दिये। साइना नेहवाल और सानिया मिर्जा जैसी

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-5* ISSUE-4* December- 2017
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

खिलाड़ियों ने विश्व स्तर पर अपना परचम लहरा दिया है। आज विज्ञान के हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी देखी जा सकती है। आरक्षण नीति ने महिलाओं को जो सहारा दिया, उसकी भूरि–भूरि प्रशंसा की जानी चाहिए। 21वीं सदी में जब महिलाये 50 प्रतिशत आरक्षण के साथ प्रगतिगामी हर क्षेत्र में कदम रखेगी, तो एक बार पुनः वे वैदिक युग की तरह और कहीं उससे भी आगे प्रगति के सोपान पर नज़र आयेगी।

डॉ. सक्सेना दीपाली ने 2010 में अपने लेख ''भारतीय समाज एवं महिला सशक्तीकरण'' में बताया कि युगों–युगों से विश्व के प्रायः सभी पुरुष प्रधान देशों एवं संस्कृतियों में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं रही है। भारतीय समाज इसका अपवाद नहीं है। कहा जाता है कि जिस समाज में नारी की स्थिति जितनी मजबूत होगी समाज उतना ही विकसित और प्रभावपूर्ण होगा। हमारे धर्मग्रन्थों में लिखा गया है–'यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता' इस के बावजूद आज भी समाज में नारी को अबला की संज्ञा देते हुए सदैव अपमानित एवं पद्दलित किया जा रहा है। वर्तमान समय में सम्पूर्ण विश्व में महिलाओं का अस्तित्व एक संकटपूर्ण अवस्था से गुजर रहा है। यद्यपि प्रत्येक देश में महिलाओं को अधिक से अधिक स्वतन्त्रता एवं सुरक्षा सम्बन्धित अधिकार प्रदान करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी विश्व में ऐसा कोई स्थान नहीं है, जंहा पर महिलाएँ अपने आपको सुरक्षित महसूस कर रही हों। सदैव से यातना एवं शोषण की शिकार रही महिलाओं के उन्नयन हेतु विश्व स्तर पर पहली बार संगठित प्रयास 1903 में अमेरिका में वुमेन ट्रेड यूनियन के गठन के साथ प्रारम्भ हुआ और कुछ अथक प्रयास के पश्चात् 8 मार्च को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला दिवस के रूप मे मनाया जाने लगा। इस दिवस ने महिला सशक्तीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

डॉ. चौधरी कृष्ण चन्द्र ने 2012 में अपने लेख ''महिलाएँ :– विकास से सशक्तीकरण की ओर'' में बताया कि देश में सरकारी व गैर सरकारी दोनों ही स्तरों पर महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में प्रयास जरूरी हैं। 9 वीं पंचवर्षीय योजना (1 अप्रेल 1997 से 31 मार्च 2002) से महिला सशक्तीकरण का मुख्य नीति के रूप में स्वीकार किया गया है, तथा इसी के फलस्वरूप भारत सरकार ने महिला वर्ष घोषित किया और उसी के अनुसार विभिन्न कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

महिलाओं को समाज में समान दर्जा प्रदान कर सशक्त बनाने के लिए स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् पिछले छह दशकों से सरकारी व गैर–सरकारी, दोनों ही स्तर पर निरन्तर प्रयास किए गए है। प्रारम्भ में नीतियाँ एवं कार्यक्रम ''महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने पर केन्द्रित थे। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून आदि क्षेत्रों में सुविधाएं देकर उनकी स्थिति को बेहतर बनाना था। सत्तर के दशक से महिला विकास की और ध्यान दिया जाने लगा। पिछले अनुभवों एवं प्रयासों के परिणामों से यह बात स्पष्ट रूप से सामने आई है तो विकास कार्यक्रमों में उनका लाभार्थी होना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि इसके लिए आवश्यक है कि उनकी क्षमता का विकास किया जाए ताकि वे अपनी राह खुद चुन सके।

अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध का मुख्य उद्देश्य राजस्थान सरकार महिला सशक्तीकरण के सरकारी प्रयासों के प्रभावशीलता का मूल्याकंन करना है। राजस्थान में आधी आबादी महिलाओं की है। राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के विकास के लिए लम्बे समय से सरकार द्वारा महिला सशक्तीकरण के प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों के द्वारा महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक स्थितियों में आए परिवर्तन के अध्ययन हेतु निम्न उदेश्य रखे गये हैः–

राजस्थान के जनजातीय उपयोजना क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तीकरण के हेतु चलाए गए कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं की आय एवं व्यय में आये परिवर्तनो का अध्ययन करना।

शोध परिकल्पना

शोधकर्त्ता ने उपरोक्त उदे्श्यों की पूर्ति हेतु निम्न निर्देशात्मक परिकल्पनाएं निर्मित की है।

महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु चलाये गये विभिन्न कार्यक्रमों से महिलाओं की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध अध्ययन की शोध प्रविधि इस प्रकार है :–

अध्ययन क्षेत्र का चयन

यह तथ्य सर्वविदित है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है जहां आधी आबादी महिलाओं की है। महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य व सशक्तीकरण के लिए सरकार विभिन्न कार्यक्रम चला रही है, फिर भी क्षेत्रीय असमानताओं के कारण जनजाति क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति चिन्ताजनक बनी हुई हैं आज भी विभिन्न राज्यों में महिला की साक्षरता बहुत कम है।

राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। नवीन जनसंख्या के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता का प्रतिशत औसत से भी कम है। शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं आज भी सामाजिक रूढ़िवादिता व परम्परा के कारण पिछड़ी हुई है। राजस्थान सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों योजनाएं चला रही रखी हैं। जो योजनाएं महिलाओं को शत प्रतिशत प्रभावित करती हैं। इस सोच के साथ कि महिला सशक्तीकरण के लिए जनजाति क्षेत्रों में सरकारी प्रयास का विशेष योगदान है शोधकर्त्ता ने प्रस्तुत शोध उदे्श्यात्मक रूप से किया है।

राजस्थान राज्य प्रशासनिक दृष्टि से सात संभागों में विभक्त है। शोधकर्त्ता ने प्रस्तुत शोध हेतु दक्षिण राजस्थान का चयन किया है। जो एक जनजातीय क्षेत्र है, जहां की आबादी अधिकांशतः जनजातीय होकर ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जहां शिक्षा का अभाव है, तथा रूढ़िवादिता में जकड़ी हुई है।

महिला सशक्तीकरण के सरकारी प्रयासों का महत्व दक्षिणी राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों की महिलाओं के लिए अधिक है, क्योंकि वहां शिक्षा का अभाव होने से महिलाओं में जागरूकता का अभाव है, अतः महिलाओं में

जागरूकता लाने के लिए यह कार्यक्रम वहां की जनजाति महिलाओं को शत प्रतिशत प्रभावित करता है।

दक्षिणी राजस्थान में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ व सिरोही जिलो का चयन शोधकर्त्ता ने अपने शोध हेतु किया है। इन पांच जिलों में प्रत्येक जिले से दो पंचायत समितियों का चयन दैवनिदर्शन पद्धति से व प्रत्येक पंचायत समिति में से दो–दो गांव का चयन व प्रत्येक गांव में से 15 परिवारों का चयन दैवनिदर्शन पद्धति के आधार पर किया गया है। इस प्रकार कुल 300 महिला प्रतिनिधियों का चयन किया है।

प्रतिदर्श संरचना :किसी भी शोध अध्ययन की आधारशिला उसका निदर्शन है क्योंकि वास्तविक जगत में सम्पूर्ण का अध्ययन असम्भव है अतः समग्र में से किसी आधार पर कुछ इकाइयों को छाँटकर उनका विस्तृत अध्ययन करना ही प्रतिचयन है।

प्रस्तुत शोध में शोधकर्त्ता ने दक्षिणी राजस्थान के पांच जिलों की जनजातीय महिलाओं पर महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम के प्रभावों का मूल्याकंन करने का प्रयास किया है। चयनित प्रत्येक जिले में से 2 पंचायत समिति, प्रत्येक पंचायत समिति से 2 गांव, चयनित प्रत्येक गांव से 15 परिवारों का चयन वेव निदर्शनी विधि द्वारा किया गया। इस प्रकार कुल 300 महिला प्रतिनिधियों का चयन सरल यादृच्छिक पद्धति से किया गया।

संमकों का संकलन

प्रस्तुत शोध प्राथमिक व द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़ों पर आधारित है। प्रतिदर्श में चयनित उत्तरदाताओं की सामाजिक, आर्थिक स्थिति, कार्य–क्षमता, रोजगार आदि की जानकारी अनुसूची के माध्यम से प्राप्त की गई है।

अध्ययन से सम्बद्ध द्वितीयक आंकड़ों की प्राप्ति राजस्थान व भारत सरकार के विभिन्न प्रकाशनों, समाचार–पत्रों, प्रकाशित व अप्रकाशित शोध पत्र, विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के प्रतिवेदन, महिला एवं बाल विकास विभाग की वार्षिक रिपोर्ट्स तथा वार्षिक बजट घोषणा पत्र आदि से प्राप्त की गई है।

सांख्यिकी विधियों का उपयोग

प्रस्तुत शोध में शोधकर्ता ने संकलित आंकड़ो की समग्र विश्लेषण करने हेतु विभिन्न सांख्यिकी विधियां जैसे औसत, प्रतिशत, सहसम्बन्ध, वृद्धि दर आदि का प्रयोग किया है।इन कार्यक्रमों के प्रभावों का परीक्षण करने हेतु ज परीक्षण के अन्तर परीक्षण का प्रयोग किया गया है।

निष्कर्ष एवं विवेचन

राजस्थान एक ग्रामीण एवं कृषि प्रधान राष्ट्र है जहां अधिकांश जनता कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर होकर ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। राजस्थान एक विषम परिस्थितियों वाला राज्य है जहां 61 प्रतिशत भूभाग मरू प्रदेश के अन्तर्गत आता है। यहां का मानसून अनियमित है। अतः कृषि अकाल की भेट चढ़ जाती है। राजस्थान का दक्षिणतम भाग जनजातीय उपयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत सम्मिलित है जिसमें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ एवं सिरोही जिले आते हैं। यहां की अधिकांश जनसंख्या जनजातीय है एवं पूर्णतया कृषि, पशुपालन एवं वनों पर निर्भर है।

जनजातीय उपयोजना क्षेत्र के निवासियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति दयनीय है। यहां के निवासियों की जीवन की गुणवत्ता निम्न स्तर की है तथा इन्हें जीवन की बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। आज भी अनेक लोगों को दो वक्त के भोजन की प्राप्ति हेतु भी अथक मेहनत करनी होती है। इन क्षेत्रों में आजीविका के प्रबन्ध हेतु पुरूष सामान्यतया अन्य क्षेत्रों में प्रवासरत रहते हैं जबकि महिलाओं के समक्ष घर, कृषि एवं बच्चों के पालन –प्रबन्ध की पूर्ण जिम्मेदारी रहती है। इससे महिलाओं के समक्ष एक चुनौती आ जाती है। जनजातीय उपयोजना क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति दयनीय है। आज भी अधिकांश महिलाएं घर एवं कृषि में कार्य कर रही है। इनके पास खाने को भी पर्याप्त भोजन नहीं रहता है। घर के सदस्यों को भोजन देने के बाद बचे शेष भोजन को वे ग्रहण कर अपनी क्षुधा शान्त कर रही हैं।

इस क्षेत्र की अधिकांश जनता आदिवासी है। जहाँ मदिरा पान एक सामान्य बात है तथा पुरूषों द्वारा मदिरापान के पश्चात् महिलाओं पर अत्याचारों की खबरें आये दिन समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहती हैं। आज भी परिवार के अधिकांश निर्णय पुरूषों द्वारा ही लिये जाते हैं एवं महिलाओं की स्वीकृति नहीं ली जाती है। महिलाओं को इन निर्णयों को मानना ही पड़ता है। महिलाओं में शिक्षा का अभाव है तथा इस क्षेत्र में ड्राप आउट की दर भी अधिक है। स्पष्ट है कि जनजातीय उपयोजन क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति खराब है।पिछली सरकारों ने महिलाओं के सामाजिक – आर्थिक उन्नयन हेतु कई कार्यक्रम प्रारम्भ किये हैं जो वर्तमान सरकार द्वारा भी सुचारू रूप से संचालित किये जा रहे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा भी महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास हेतु प्रयास किये जा रहे हैं तथा कई कार्यक्रम तो पूर्णतया महिलाओं के विकास हेतु ही समर्पित हैं। अतः इस बात का आंकलन अति आवश्यक है कि महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक विकास हेतु संचालित कार्यक्रमों का उनके सामाजिक आर्थिक उन्नयन पर क्या प्रभाव पड़ा है। इस अध्याय में इन प्रभावों के आंकलन का प्रयास किया गया है जो इस प्रकार है–

प्रतीपगमन मॉडल

यहां हमने जनजातीय उपयोजना क्षेत्र मे महिला सशक्तीकरण एवं इसके निर्धारक तत्वों के बीच गणीतिय एवं फलनात्मक सम्बन्ध का अनुमान लगाने हेतु बहुगुणी प्रतीपगमन मॉउल का प्रयोग किया है जिसका मॉडल समीकरण इस प्रकार है :

$$y_i = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_1 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \beta_5X_5 + \beta_6X_6 + U_i$$

यहां

y_i = महिला सशक्तीकरण
X_1 = सरकारी नीतियां एवं व्यय
X_2 = शिक्षा का स्तर
X_3 = आय अन्तर
X_4 = जीवन स्तर
X_5 = महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी

X_6 =महिलाओं की जागरूकता

U_i =यादृच्छिक बाधा चर

मॉडल का विनिर्देशन (Specification) इस प्रकार है :

महिला सशक्तीकरण

यहां महिला सशक्तीकरण को निर्भर चर माना गया है जो स्वयं अन्य स्वतंत्र चरों से निर्धारित होता है।

सरकारी नीति एवं व्यय

सरकारी नीतियों एवं महिला सशक्तीकरण में सकारात्मक एवं धनात्मक सम्बन्ध परिकल्पित किया गया है। यदि सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु नीतियां निर्मित करती है एवं व्यय करती है तो महिला सशक्तीकरण का स्तर बढ़ता है।

सरकारी नीति एवं व्यय

शिक्षा के स्तर एवं महिला सशक्तीकरण में सकारात्मक एवं धनात्मक सम्बन्ध परिकल्पित किया गया है। यदि महिलाएं उच्च स्तर तक शिक्षित होगी तो उनका जीवन स्तर एवं आय स्तर भी ऊँचा होगा जो क्षेत्र में महिला सशक्तीकरण के स्तर को उच्च बनायेगा।

आय स्तर

आय के स्तर का महिला सशक्तीकरण से सीधा एवं धनात्मक सम्बन्ध परिकल्पित किया गया है। उच्च आय स्तर होने पर जनजातीय महिलाओं का जीवन स्तर उच्च होगा तथा वे आर्थिक रूप से सशक्त होने के कारण स्वतंत्रता पूर्वक अपने निर्णय ले सकेगी।

जीवन स्तर

महिलाओं के जीवन स्तर का उनके सशक्तीकरण के साथ धनात्मक एवं समानुपातिक सम्बन्ध परिकल्पित किया गया है। उच्च जीवन स्तर महिलाओं की कार्य क्षमता को बढ़ाता है जो उनकी आय के स्तर को बढायेगा तथा महिलाएं आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बनेगी।

महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी

महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी एवं महिला सशक्तीकरण में सकारात्मक एवं धनात्मक सम्बन्ध परिकल्पित किया गया है। यदि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के स्तर में वृद्वि होती है तो महिला सशक्तीकरण बढ़ेगा एवं विलोमशः।

महिलाओं की जागरूकता

जनजातीय उपयोजना क्षेत्र में महिलाओं की जागरूकता एवं महिला सशक्तीकरण में धनात्मक सम्बन्ध परिकल्पित किया गया है। महिलाओं की जागरूकता बढ़ने से उनकी सरकारी योजनाओं में भागीदारी बढ़ेगी एवं उनके सशक्तीकरण का स्तर बढ़ेगा।

आंकलित प्रतीपगमन मॉडल इस प्रकार हैः

तालिका 1.

प्रतीपगमन मॉडल (सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र)

चर	प्रत्याशित चिह्न	β गुणांक	t मूल्य	R2	$\bar{R}^2$	F मूल्य	P मूल्य
X1	$	0-84	4-86*	0.81	0.70	21.84	0.00072
X2	$	0-79	4-21*				
X3	$	0-82	3-92*				
X4	$	0-49	2-11**				
X5	$	0-51	0-82				
X6	$	0-11	0-29				

स्त्रोत : आगणित, * 1 : सार्थकता स्तर पर महत्वपूर्ण, ** 5 : सार्थकता स्तर पर महत्वपूर्ण

आकलित प्रतीपगमन मॉडल का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि व्याख्यात्मक चरों के गुणांको के प्रत्याशित एवं वास्तविक चिह्न समान है। X1 चर का गुणांक .84 है अर्थात y में 84 प्रतिशत परिवर्तनों के लिये उत्तरदायी है। इसी प्रकार X2 X3 एवं X4, X5 एव X6 चर y (महिला सशक्तीकरण) में क्रमश 79 प्रतिशत, 82 प्रतिशत, 49 प्रतिशत 51 प्रतिशत एवं 11 प्रतिशत परिवर्तनों के लिये उत्तरदायी है।

हमारा आकलित प्रतीपगमन मॉडल सार्थक प्रतीत होता है क्योंकि R2 एवं $\bar{R}^2$ का मान पर्याप्त रूप से ऊँचा है। सभी व्याख्यात्मक चर मिलकर, आश्रित चर में 81 प्रतिशत परिवर्तनों हेतु उत्तरदायी है। प्रसरण अनुपात F का मूल्य भी पर्याप्त रूप से ऊँचा है जो मॉउल की सार्थकता को व्यक्त करता है।

हमारी शून्य परिकल्पना कि $\beta = 0$ अर्थात् व्याख्यात्मक चर, आश्रीत चर पर कोई प्रभाव नहीं ड़ालते हैं, गलत सिद्ध होती है क्योंकि प्राथमिक मूल्य (P)मूल्य जो कि 0.00072 है, सार्थकता स्तर 0.05 से कम है। अतः यह सिद्ध होता है कि व्याख्यात्मक चर, आश्रित चर को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि जनजातीय उपयोजना क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति सरकारी योजनाओं से लाभान्वित होने से पूर्व दयनीय थी एवं उनका सामाजिक आर्थिक स्तर निम्न था परन्तु सरकारी योजनाओं से लाभान्वित होने के बाद महिलाओं की आय में वृद्वि होने से उनके सामाजिक आर्थिक स्तर में सुधार हुआ है। स्पष्ट है कि विभिन्न सरकारी योजनाओं से जनजातीय उपयोजना क्षेत्र में महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा मिला है।

महिलाओं की आय में परिवर्तन

आय किसी भी व्यक्ति के जीवन स्तर के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अतः यह जानकारी अति आवश्यक है कि उत्तरदाताओं की आय सरकारी योजनाओं से लाभ प्राप्त करने से पूर्व क्या थी तथा सरकारी योजनाओं से लाभ प्रापत करने के पश्चात् उनकी आय क्या है। क्या उनकी आय में परिवर्तन हुआ है एवं यह परिवर्तन कितना महत्वपूर्ण है।

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-5* ISSUE-4* December- 2017
E: ISSN NO.: 2349-980X Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika

सर्वेक्षण क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रत्येक जिले की महिला उत्तरदाताओं की आय के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करके सम्पूर्ण जिले में जनजातीय महिलाओं की मासिक आय का एक औसत ज्ञात किया गया तथा सरकारी योजनाओं से लाभान्वित होने के पूर्व तथा पश्चात् की आय का तुलनात्मक अध्ययन कर अन्तर की सार्थकता का परीक्षण किया है। आय की अन्तर की सार्थकता का परीक्षण करने हेतु स्टूडेण्ट के ।परीक्षण का प्रयोग किया है। शून्य परिकल्पना इस प्रकार हैः

Ho

सरकारी योजनाओं से लाभान्वित होने से पूर्व एवं लाभान्वित होने के पश्चात् उत्तरदाताओं की आय में कोई महत्वपूर्ण अन्तर नहीं आया है।

H_A

सरकारी योजनाओं से लाभान्वित होने से पूर्व एवं लाभान्वित होने के पश्चात् उत्तरदाताओं की आय में अन्तर आया है। इसे निम्न तालिका से समझ सकते है।

तालिका 2.
आय में अन्तर की सार्थकता का परीक्षण

जिला	आय			S	T मूल्य	P मूल्य
	लाभन्वित होने से पूर्व	लाभन्वित होने के पश्चात्	अन्तर			
उदयपुर	5000	15000	10000	214.5	89.65	0.002
डूंगरपुर	4000	14000	10000			
प्रतापगढ़	5000	16000	11000			
बांसवाड़ा	7000	12000	5000			
सिरोही	8000	15000	7000			

स्त्रोत : आगणित

$$t = \frac{\bar{D}}{S}\sqrt{n} = 8600\sqrt{5}$$
$$= \frac{19230.18}{214.5} = 89.65$$

निष्कर्ष

यहां t परीक्षण का आंकलित मूल्य 89.65 है जबकि 4 स्वातंत्र्य स्तर (Df = n-1) पर t परीक्षण का सारणी मान 2.78 है (5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर)। स्पष्ट है कि आंकलित मान, सारणी मान से अधिक है अतः हमारी शून्य परिकल्पना गलत सिद्ध होती है एवं यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि सरकारी योजनाओं से लाभान्वित होने के कारण उत्तरदाता महिलाओं की आय में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। स्पष्ट है कि सरकारी कार्यक्रमों से लाभान्वित होने के पश्चात् महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हुई है।

1. महिला सशक्तीकरण एक व्यापक अवधारणा है जिसमें न केवल महिलाओं का उत्थान सम्मिलित है, अपितु महिलाओं एवं बालिकाओं को सामाजिक–आर्थिक, नैतिक, धार्मिक, राजनैतिक एवं प्रत्येक दृष्टि से सम्मुन्नत बनाने से है। उन्हें अवसरों की समानता एवं स्वतंत्रता तथा अपनी योग्यताओं के प्रदर्शन के अवसर के साथ–साथ उनके सम्पत्ति अधिकारों की पूनर्स्थापना करके जीवन स्तर को तथा जीवन की गुणवत्ता को विश्व मानकों के सदृश बनाना अति आवश्यक कार्य है।
2. व्याख्यात्मक चर, आश्रित चर को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। जनजातीय उपयोजना क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति सरकारी योजनाओं से लाभान्वित होने से पूर्व दयनीय थी एवं उनका सामाजिक आर्थिक स्तर निम्न था परन्तु सरकारी योजनाओं से लाभान्वित होने के बाद महिलाओं की आय में वृद्धि होने से उनके सामाजिक आर्थिक स्तर में सुधार हुआ है। स्पष्ट है कि विभिन्न सरकारी योजनाओं से जनजातीय उपयोजना क्षेत्र में महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा मिला है।
3. हमारी शून्य परिकल्पना सरकारी योजनाओं से लाभान्वित होने से पूर्व एवं लाभान्वित होने के पश्चात् उत्तरदाताओं की आय में कोई महत्वपूर्ण अन्तर नहीं आया है गलत सिद्ध होती है एवं यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि सरकारी योजनाओं से लाभान्वित होने के कारण उत्तरदाता महिलाओं की आय में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। स्पष्ट है कि सरकारी कार्यक्रमों से लाभान्वित होने के पश्चात् महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हुई है।

नीति निर्देशनात्मक सुझाव

महिला सशक्तीकरण की सरकारी योजनाओं की जनजातिय क्षेत्र की महिलाओं पर हुए सामाजिक–आर्थिक प्रभावों के अध्ययन से स्पष्ट है कि यद्यपि योजनाओं के क्षेत्र में महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा मिला है एवं उनकी सामाजिक–आर्थिक उन्नति हुई है परन्तु अभी भी इस दिशा में बहुत कार्य होना शेष है अतः शोधकर्त्ता ने इस सम्बन्ध मे नीति निर्देशनात्मक सुझाव प्रस्तुत किये हैं जो निम्नवत् है :

सरकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु यह अति आवश्यक है कि महिलाओं को उनके सशक्तीकरण हेतु संचालित कार्यक्रमों एवं उनसे प्राप्त होने वाले लाभों का पूर्ण ज्ञान हो अन्यथा वे इन योजनाओं का पूर्ण लाभ नहीं उठा सकेगी अतः सरकार एवं जनप्रतिनिधियों तथा सरकारी प्रतिनिधियों को इन योजनाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार करना चाहिये ताकि महिलाएं इन योजनाओं से पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकें।

जनजातीय ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं उनके कार्यो हेतु विभिन्न स्त्रोतों विशेषकर महाजन से ऋण लेती रहती हैं जो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है अतः सरकार को ग्रामीण ऋणग्रस्ता में कमी लाकर इसे समाप्त करने का लक्ष्य रखना चाहिये तथा सरकार को महिलाओं को रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध करवाना चाहिये।

जनजातीय लोग सामाजिक अंध विश्वासों में जकडे हुए है अतः उनमें शिक्षा का प्रसार करके इन कुरीतियों से मुक्ति दिलवाना अति आवश्यक है तभी महिला सशक्तीकरण के लाभ महिलाओं तक पहुंच पांएगे।

जनजातीय क्षेत्रो में व्याप्त कुरीतियों तथा नशाखोरी की प्रवृति के विरुद्व एक व्यापक जन–आन्दोलन आवश्यक है क्योंकि नशाखोरी के कारण इन क्षेत्रों में लोगों की आय पर विपरीत प्रभाव हुआ है।

जनजातिय क्षेत्रों में चकबन्दी के माध्यम से जोतों के आकार को वृहद करने की आवश्यकता है क्योंकि इन क्षेत्रों में जोतों के आकार बहुत छोटा है साथ ही सिंचाई के साधनों के प्रसार के साथ–साथ आधुनिक सिंचाई पद्वतियों का प्रसार करना अति आवश्यक है।

यदि उपरोक्त नीति निर्देशनात्मक सुझावों को नीति निर्माण में अपनाया जावें तो महिला सशक्तीकरण को सुनिश्चित करना मुमकिन होगा।

सन्दर्भ ग्रंथ सुची

1. *रीना ''पंचायतों में महिलाओं की सहभागिता'' समाज कल्याण अंक–09 ,2017*
2. *परिहार जितेन्द्र सिंह ''21 वीं सदी में नारी की प्रासंगिकता'' समाज कल्याण अंक–04,2017*
3. *मीना जी, "पंचायत में महिला आरक्षण–महिला सशक्तीकरण का नवीन प्रयास"*
4. *मीणा एम.एल. (2012) जून, "सशक्तीकरण" की मौन क्रांति" योजना, अंक–6– पेज न. 31–31*
5. *सिंह, रश्मि जून (2012), "स्त्री शक्ति महिला सशक्तीकरण" योजना अंक –6 पेज न. 39–41*
6. *डॉ. मीणा, रमेश (2011), "विकास के सन्दर्भ में आदिवासी महिला की स्थिति"*
7. *कानूनी अधिकार और जमीनी हकीकत, जैन, अरविन्द (2015) राजस्थान पत्रिका 8 मार्च, 2015*
8. *कुमारी, रंजना (2015) सशक्त करें, वे खुद कर लेगी अपनी रक्षा*
9. *सेतिया सुभाष (2015) "बजट के आइने में महिला उत्थान"*
10. *प्रेमा करियप्पा, मार्च 2009, "महिला सशक्तीकरण" स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए अनिवार्य" समाज कल्याण, मार्च 2009, अंक–8, पेज न. 4–6*
11. *डॉ. मीणा, रमेश चन्द्र, मार्च 2009, "आधुनिक युग में नारी के संकट", समाज कल्याण, अंक–8, पेज न. 7–8*
12. *सेतिया सुभाष, देह व्यापार : एक कड़वा सामाजिक यथार्थ, मार्च 2009, समाज कल्याण अंक–8, पेज न. 12–15*
13. *डॉ. चौधरी, कृष्ण चन्द्र, मार्च 2012, "महिलाएं विकास से सशक्तीकरण" की ओर", समाज कल्याण अंक–08, पेज नं. 7–10*
14. *डॉ. जी श्रीवास्तव, सुखपाल मार्च 2012, "महिला सशक्तिरण के लिए जरूरी है शिक्षा", समाज कल्याण पेज नं. 11–13*
15. *देवपुरा, प्रतापमल, मार्च, 2012, "महिला सशक्तीकरण": सामाजिक चेतना के अनेक पहलू", पेज नं. 14–17, समाज कल्याण*
16. *रामप्रसाद, बेगम, आशुतोष कुमार सिंह – मार्च 2012, "महिलाओं के स्वावलम्बन की अनोखी मिसाल"– पेज न.21–23*
17. *जी. आर. वर्मा, जून 2012, "स्त्री अधिकारिता और कानून", योजना, पेज नं. 53 अंक–6*
18. *अमृत पटेल, "कृषि क्षेत्र में महिलाएं", योजना, जून 2012, अंक – 6 पेज नं. 11–13*
19. *ममता, जून, 2012, "राष्ट्रीय महिला आयोगः सशक्तीकरण" के 20 वर्ष", योजना अंक–6 पेज नं. 15–17*
20. *अरूंधती, चट्टोपाध्याय, जून, 2012, "भारतीय राज्यों में स्त्री सशक्तीकरण"", योजना अंक–6, पेज नं. 19–21*
21. *सारस्वत, ऋतु, जून, 2012, "स्वास्थ्य के मोर्चे पर भारतीय स्त्री", योजना अंक–6, पेज नं. 23–24*
22. *22.मोहन, ममता, जून 2012, "सशक्तीकरण"–एक समाज शास्त्रीय विश्लेषण", योजना, अंक–6, पेज नं. 43–45*
23. *सिंह, अजय कुमार, जून 2012, "राजनीति में महिला नेतृत्वः महिला सशक्तीकरण" की नयी परिभाषा", योजना पेज नं. 47–49*
24. *चौबे, मनीष कुमार, जून 2012, "अपराध एवं कानूनी संरक्षण" योजना पेज न. 51–52*
25. *डॉ. आजाद सत्यदेव, समाज कल्याण, सितम्बर, 2014, "नारी शिक्षा छंट नही पाया अभी अशिक्षा का तमस", अंक–2, पेज नं. 11–12*
26. *श्रीमती मीना गुलाब, ट्राईब खण्ड–44 (1–4), "पंचायतों में महिला आरक्षण महिला सशक्तीकरण" का नवीन प्रयास"*